

अनुच्छेद 2 (विधिवत 11 (4) देखिये)



कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (CHHINDWARA), मध्य प्रदेश

दस्तावेज:-

पिनस:-

ई-मेल:-

अनुक्रमांक/43280123/स्कूल आई.टी. - 11281

दिवस:-

प्रति,

प्रबंधक,

(Pvt. HSS Bharat Bhatti Vidhya Mandir, Chhindwara)

विश्व मि.ट्यूक और अजितकंद बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के अधीन के लिए नि.ट्यूक और अजितकंद बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 के विधिवत 11 के उपविधिवत (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रदान करना।

महोदय/महोदया,

आपका आदेशन पत्र दिनांक 25/09/2017 तथा इस संबंध में स्कूल से बर्षातकनीक पर स्पष्टीकरण निर्गमना के तदर्थ में, मैं आपकी स्कूल -Pvt. HSS Bharat Bhatti Vidhya Mandir, Chhindwara, NEAR KRISHAK GOLD STORE, NARSINGPUR ROAD CHHINDWARA को क्या Nursery में क्या 8-तक के लिए दिनांक 01/04/2018 से 31/03/2021 तक कक्षावर्ग के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन दी जाती है:-

- मान्यता विनियमित नहीं होती तथा कक्षा 8 में जाने की आवश्यकता/सहायक की कोई आवश्यकता नहीं है।
- स्कूल नि.ट्यूक और अजितकंद बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (अनुच्छेद 1) तथा नि.ट्यूक और अजितकंद बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 (अनुच्छेद 2) के उपबंधों का पालन करना।
- स्कूल, अपने पर्यटकों की सीमा में परिवर्तन करके लाना कमजोर नहीं करेगा।
- स्कूल में, स्कूल यदि सहायक प्राप्त स्कूल है तो इनके प्राथमिक बच्चों को इस अनुपालन में नि.ट्यूक और अजितकंद प्राथमिक शिक्षा देना जिस रूप में उनके बच्चों आती है। यह बच्चों को प्राप्त करने हेतु इस प्रकार बर्षातकनीक आदेशों सहित का अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह अनुदान प्राथमिक प्राथमिक के अधीन होगा बर्षातकनीक कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्रि स्कूल) शिक्षा दी जाती है। यह अधिनियम की धारा 12 के उपबंध (1) के अंतर्गत (क) से (ग) के उपबंध विनियमन में पर्यटकों के लिए लागू होगा।
- यदि 3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार पर्यटकों की स्वीकृति की जायगी तथा ऐसी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पुराने से बंधू कायदा उपस्थापन करना होगा।
- कोषव्यवस्थापन बर्षों में कीर्तित प्रस्ताव का साक्ष्य नहीं करेगा। (साक्षात्कार या उसके पालन का अधिनियम के साथ किसी छात्रवर्ग प्रक्रिया को नहीं अनुमत्त)।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने में इंकार नहीं करेगा।
 - (क) अनु के स्कूल के अनुसार में,
 - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विनियमित बर्षातकनीक के अनुसार प्रवेश प्रवेश प्राप्त करेगा है;
 - (ग) धर्म, जाति या मूल्य, जन्मस्थान या धर्म से किसी भी अंतर पर।
- स्कूल निर्धारित बर्षातकनीक-
 - किसी स्कूल में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी बर्षातकनीक में प्रवेश या निष्काशित नहीं किया जाएगा;
 - किसी बालक को प्राथमिक या सहायक रूप में प्रवेशित नहीं किया जाएगा;
 - प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को बर्षों में परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होती;
 - विनियम 19 के अधीन प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने वाले बालक को प्रवेश पर दिया जाएगा;
 - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नि.ट्यूक/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
 - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित अनुदान योग्यता अनुसार विद्यार्थी के अर्हता के अंतर्गत बर्षों के बर्षातकनीक में बर्षातकनीक जो शिक्षक द्वारा अधिनियम के प्रावधानों पर अनुदान प्रदान नहीं करता है, उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित अनुदान अंतर्गत प्राप्त करनी होगी ;
 - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन निर्धारित कक्षाओं का पालन करना होगा;
 - कक्षावर्ग टैबल की स्वीकृति/परिचय में शिक्षक स्वयं आम नहीं लेने/लेनी;
- अधिनियम के अधीन निर्धारित बर्षातकनीक प्रावधानों का अनुपालन करना।
- अधिनियम की धारा 19 में निर्दिष्ट किए अनुसार स्कूल में प्रत्यक्ष सुविधा के अनुसार में स्कूल में बर्षों का साक्ष्य प्राप्त किया जाएगा।

Signature Not

Verified

Digitaly Signed by RAVI
SINGH NAGAR
Date: 2018-07-23
08:01:59 IST
Reason: Digitally
Signed

Location: Not

Sign

- स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 10 में विनिर्दिष्ट स्कूल के प्रकार एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अधिनियम के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयीं-

क्र.	सुविधाएं	वॉल्यूम में दर्जे	संश्लेषित रिपोर्ट
8	स्कूल के भवन की विधि	वर्षों का भवन	वर्षों का भवन
9	स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	122813	122813
10	स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	53131	53131
11	घरों में पठन का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	59642	59642

क्र.	अधीनस्थता का विवरण					
	विवरण	Rooms per RTI	वॉल्यूम में दर्जे		संश्लेषित रिपोर्ट	
			घरों	औसत आकार (वर्ग फीट में)	घरों	औसत आकार (वर्ग फीट में)
1	कक्षा आठवीं तक उपरोक्त में आ रही कक्षा कक्षा		28	500	28	500
2	सहायक, कक्षा-बहु-आकार, कक्षा-बहु-आकार/आकार का		4	500	4	100
3	सहायक-बहु-आकार		2	100	2	100

क्र.	अनुसूचित सुविधाएं	वॉल्यूम में दर्जे		संश्लेषित रिपोर्ट	
		हैं	हैं	हैं	हैं
1	कक्षा सभी सुविधाओं तक पहुंच बनाए रखित है। (आवृत्ति)	हैं	हैं	हैं	हैं
2	पठन कक्षा सज्जदी (इसमें/विद्यमान सुविधाएं/की)	हैं	हैं	हैं	हैं
3	सोफा/टैबल एवं सीट उपकरण (इसमें/विद्यमान सुविधाएं/की)	हैं	हैं	हैं	हैं
4	पुरुषों की सज्ज		6050		6050
5	महिलाओं/बच्चों/का सज्ज		7		7
6	विद्यमान सुविधा का प्रकार		Tube Well		Tube Well
7	विद्यमान सुविधा की संख्या		9		9
8	सौकर्य का प्रकार (पारंपरिक/पिपेड/दो)		Both Indian & Western		Both Indian & Western
9	सड़कों के लिए नुकसान सौकर्यों की संख्या		5		5
10	सड़कों के लिए नुकसान सौकर्यों की संख्या		6		6
11	सिंचन बचाव के लिए उपयुक्त सौकर्यों की संख्या		1		1
12	क्या अधिनियम के अंतर्गत/उपरोक्त है ? (आवृत्ति)	हैं	हैं	हैं	हैं

- सर्वे संपूर्णतः किए जायें तथा सर्वेक्षण एकाग्रता के द्वारा संचालित होंगे और उचित वेतन विवरण विभागों में अनुसूचित वेतन होगा। कार्यकाल के विवरणों की एक प्रति अधिनियम के अंतर्गत अधिकाधिक को भेजी जायगी।
- अधिकाधिक स्कूल का अनुसूचित कोड नम्बर A/3280123... एवं आईएसओ (ISO) 23430114156 है। इस कार्यकाल में यह कोड नम्बर संचालित किए जाएंगे।
- देशी विद्युत और टेलीफोन स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जायेंगी, जो समय-समय पर अधिनियम के अंतर्गत, और स्कूल समय-समय पर अधिनियम के अंतर्गत अधिकाधिक को भेजा जायगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की दृष्टि से हो जाने के लिए अधिनियम के अंतर्गत अधिकाधिक को भेजा जायगा।
- सोफा/टैबल/का सज्ज, बंदी को हो, के अंतर्गत का संचालन किया जायगा।
- अधिकाधिक को भेजा जायगा अधिनियम के अंतर्गत (हो)।
- अधिनियम एवं विभाग के अधिनियम और अधिनियम की धारा का अधिनियम पर जाने तथा सिद्ध हो जाने पर अधिनियम कायम रहेगी जायगी।

सही,

शिक्षा विभाग अधिकाधिक

शिक्षा CHHINDWARA जिला